मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 171] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 मार्च 2010—चैत्र 4, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2010

क्र. 7006-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबन्धों के पालन में, मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 10 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 25 मार्च, 2010 को पुर:स्थापित हुआ है, जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०१०

मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (संशोधन) विधेयक, २०१०.

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.
२. सम्पूर्ण अधिनियम में कतिपय शब्दों का स्थापन.
३. धारा ४ का संशोधन.
४. धारा १० का संशोधन.
५. धारा ३१ का संशोधन.
६. धारा ३५ का संशोधन.
७. धारा ४१ का संशोधन.
८. धारा ४५ का स्थापन.
९. धारा ५१ का संशोधन.
१०. धारा ५२ का संशोधन.
११. धारा ५५ का संशोधन.
१२. धारा ५५-क का अंत:स्थापन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०१०

मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (संशोधन) विधेयक, २०१०.

मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, १९९९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

सम्पूर्ण अधिनियम में कतिपय शब्दों का स्थापन.

२. सम्पूर्ण मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २ सन् २०००) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) में, शब्द ''सहायक सहकारिता'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द ''प्रमुख सहकारिता'' स्थापित किए जाएं.

धारा ४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (५) में, खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(घ) समस्त आवेदकों के नामों की, उनके फोटो तथा रजिस्ट्रार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उनके स्थाई निवास के पते के सबूत के साथ एक सूची;''.

धारा १० का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १० में,—

(एक) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(१) प्रत्येक सहकारिता, का वही रजिस्ट्रीकृत पता होगा जो उसकी उपविधियों में वर्णित किया गया है तथा सहकारिता उपविधियों में वर्णित अपने रजिस्ट्रीकृत पते पर दिन-प्रतिदिन का कारबार करेगी और सहकारिता से संबंधित अभिलेखों का अपने रजिस्ट्रीकृत पते पर संधारण करेगी.'';

(दो) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(३) बोर्ड, संकल्प द्वारा, अपने मुख्यालय का पता तब्दील कर सकेगा, और वह ऐसी तब्दीली की सूचना, ऐसा संकल्प पारित किए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा अपने सदस्यों, लेनदारों, रजिस्ट्रार तथा किसी ऐसी प्रमुख सहकारिता को देगा जिससे कि वह संबद्ध है.'';

(तीन) उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(४-क) यदि सहकारिता—

(एक) रजिस्ट्रार को तब्दील किए गए पते की संसूचना नहीं देती है; या

(दो) अपने रजिस्ट्रीकृत पते पर कारबार नहीं करती है; या

(तीन) अपने रजिस्ट्रीकृत पते पर अभिलेखों का संधारण नहीं करती है,

तो रजिस्ट्रार उत्तरदायी अधिकारी पर, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, दस हजार रुपये से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा.''.

५. मूल अधिनियम की धारा ३१ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:— धारा ३१ का संशोधन.

"(ड) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लेखा के संपरीक्षित वित्तीय विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से संबंधित संपरीक्षक की रिपोर्ट तथा उस पर की गई कार्रवाई के साथ अनुपालन रिपोर्ट पर विचार;".

६. मूल अधिनियम की धारा ३५ में, खण्ड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :— धारा ३५ का संशोधन.

"(झ) लेखाओं की वार्षिक वित्तीय विवरणी तैयार करना;

(ञ) धारा ५२ की उपधारा (१) तथा (२) के उपबंधों के अनुसार विवरणियां तथा जानकारी प्रस्तुत करना;

(ट) धारा ३२ के अधीन वार्षिक साधारण सम्मिलन या विशेष साधारण सम्मिलन बुलाना;

(ठ) सहकारिता के लिए कारबार की नीति तैयार करना तथा कारबार की नीति के अनुसार कार्य संचालित करना;

(ड) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना तथा उसकी सिफारिशों पर कार्रवाई करना और वार्षिक साधारण सम्मिलन के समक्ष की गई कार्रवाई के ब्यौरों के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना.".

७. मूल अधिनियम की धारा ४१ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :— धारा ४१ का संशोधन.

"(१) प्रत्येक सहकारिता अपनी कार्यवृत्त पुस्तक में प्रत्येक साधारण सम्मिलन, प्रत्यायुक्त साधारण निकाय सम्मिलन तथा बोर्ड सम्मिलन की समस्त कार्यवाहियों के कार्यवृत्त और उसमें उपस्थित सदस्यों, प्रत्यायुक्तों या निदेशकों के नाम हिन्दी में या उपविधियों में विहित की गई किसी अन्य भाषा में अभिलिखित करेगी तथा उसकी पुष्टि उसी या आगामी सम्मिलन में करेगी तथा सहकारिता के मुख्य कार्यपालक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह उसकी प्रति प्रत्येक ऐसे सम्मिलन के पन्द्रह दिन के भीतर यथास्थिति समस्त प्रत्यायुक्तों या सदस्यों या निदेशकों को भेजे.".

८. मूल अधिनियम की धारा ४५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :— धारा ४५ का स्थापन.

"४५. (१) कोई सहकारिता अपने सदस्यों से, उस सीमा तक, तथा ऐसी शर्तों के अधीन जैसी कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाएं, साधारण पूंजी के रूप में निधियां जुटा सकेगी. निधियों का जुटाया जाना.

(२) कोई सहकारिता अपने सदस्यों से, उस सीमा तक, जो कि अंश पूंजी तथा रक्षित निधि के पच्चीस गुना से अधिक नहीं होगी, निक्षेप और उधारों के रूप में निधियां जुटा सकेगी.

(३) कोई सहकारिता, केवल भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ (१९३४ का २) में यथा परिभाषित किसी अधिसूचित बैंक या वित्तीय संस्था से या बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का १०) में यथापरिभाषित सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से उस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन जैसी कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाएं, निधियां उधार ले सकेगी.

(४) कोई सहकारिता, गैर सदस्य या संस्थाओं से कोई निक्षेप तब तक स्वीकार नहीं करेगी और बैंकिंग कारबार से संबंधित कोई कार्य तब तक नहीं करेगी जब तक कि ऐसी सहकारिता ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का १०) के अधीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त न कर ली हो.''.

धारा ५१ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ५१ में, उपधारा (१४) में, खण्ड (छ) में, पूर्णविराम के स्थान पर, अर्धविराम स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अंत: स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(ज) यह कथन होगा कि क्या सहकारिता के कारबार में उपगत हानि घोर उपेक्षा या गंभीर अनियमितताओं का परिणाम है.''.

धारा ५२ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ५२ में, उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(३) यदि उपधारा (१) तथा (२) में यथाविनिर्दिष्ट विवरणी तथा जानकारी रजिस्ट्रार को उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है या नहीं दी जाती है तो रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, उस बोर्ड पर, जो कि उत्तरदायी हो, बोर्ड को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, दस हजार रुपए से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और बोर्ड के समस्त निदेशक ऐसी शास्ति के लिए संयुक्त रूप से दायी होंगे.''.

धारा ५५ का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा ५५ में,—

(एक) शब्द ''एक हजार'' जहां कहीं भी वे आए हों के स्थान पर, शब्द ''दस हजार'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(४-क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो,—

(क) किसी पुस्तक या प्रतिभूतियों को नष्ट करता है, विकृत करता है या उसमें हेरफेर करता है या सहकारिता से संबंधित किसी रजिस्टर, लेखा पुस्तक या दस्तावेज में कोई मिथ्या या कपटपूर्ण प्रविष्टि किए जाने में सहभागी है; या

(ख) इस अधिनियम तथा उपविधियों में यथा उपबंधित से अन्यथा सहकारिता की निधि का विनिधान करता है,

अपराध का दोषी होगा और दोषसिद्ध पर कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा.''.

धारा ५५-क का अंत:स्थापन.

१२. मूल अधिनियम की धारा ५५ के पश्चात्, अध्याय सात में, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अपराधों का संज्ञान.

''५५-क. (१) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा.

(२) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे अपराध के किए जाने के तथ्यों की लिखित रिपोर्ट प्राप्त होने के सिवाय, संज्ञान नहीं होगा.''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २ सन् २०००) को स्वावलंबन और परस्पर सहायता के सिद्धान्त पर आधारित एक ऐसी लोकतांत्रिक उद्यमकर्ता सहकारिता के रूप में, जो कि सरकारी सहायता पर आश्रित नहीं हो, प्रोन्नत तथा विकसित करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था. यह पाया गया है कि बहुत सी सहकारिताओं में अनियमितताएं हैं और पूर्वोक्त अधिनियम में उपबंध न होने के कारण इन सहकारिताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है और सहकारिता, स्वावलंबन तथा परस्पर सहायता के सिद्धान्त के आधार पर एक लोकतांत्रिक संस्था के रूप में विकसित करने का एक मात्र उद्देश्य पूर्णत: प्राप्त नहीं हुआ है. इस अधिनियम के कार्यकरण के दौरान कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयां भी महसूस की गई हैं. अतएव, यह विनिश्चित किया गया है कि अधिनियम को यथोचित रूप से संशोधित किया जाए.

२. प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :—

खण्ड २ : कोई सहकारिता जिसकी सहकारिताएं सदस्य हैं, प्रमुख सहकारिता है किन्तु सम्पूर्ण अधिनियम में "सहायक सहकारिता" का उपयोग किया गया है, जो कि समुचित नहीं है, अत: शब्द "प्रमुख सहकारिता" स्थापित किए जाना प्रस्तावित हैं.

खण्ड ३ : धारा ४-आवेदक के फोटो तथा उसके निवास के पते के सबूत के साथ आवेदन प्रस्तुत करने के लिये संशोधित की जाना प्रस्तावित है.

खण्ड ४ : धारा १०-किसी सहकारिता के लिये उसके पंजीकृत पते पर अपना कारबार करने, पंजीकृत पते पर अभिलेखों का संधारण करने तथा परिवर्तित पता रजिस्ट्रार को संसूचित किया जाना अनिवार्य किए जाने हेतु संशोधित की जा रही है तथा इसमें असफल रहने पर दस हजार रुपये तक के जुर्माने की शास्ति प्रस्तावित की गई है.

खण्ड ५ : साधारण निकाय को संपरीक्षक की रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करने के लिये सशक्त किया गया है.

खण्ड ६ : बोर्ड के कृत्यों में वृद्धि करने की दृष्टि से धारा ३५ को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

खण्ड ८ : निधि जुटाने के उपबंधों को पुनरीक्षित किया गया है.

खण्ड ९ : संपरीक्षक अपनी रिपोर्ट में यह कथित करेगा कि सहकारिता के कारबार में उपगत हुई हानि, घोर उपेक्षा या गंभीर अनियमितताओं का परिणाम नहीं है, आवश्यक उपबंध प्रस्तावित किए गाए हैं.

खण्ड १० : यदि विवरणियां और जानकारी नहीं दी गई है तो रजिस्ट्रार को, धारा ५२ के अधीन शास्ति अधिरोपित करने हेतु सशक्त किया गया है.

खण्ड ११ : अपराधों के उपबंधों को पुनरीक्षित किया गया है तथा शास्ति में वृद्धि की गई है.

खण्ड १२ : अपराधों के संज्ञान के लिये आवश्यक उपबंध अंत:स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

३. अन्य संशोधन गौण या परिणामीस्वरूप के हैं जिनके लिये किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है.

४. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : १८ मार्च, २०१०.

गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.